निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 31/2021 प्रार्थना पत्र
दायरा दिनांक :– 25.05.2021
निर्णय दिनांक :– 12.10.2021

उनवान

1. गोपाल पुत्र बिरधीलाल जाति माली निवासी काजीखेडा तहसील बारां जिला बारां

बनाम

1. बद्रीलाल पुत्र बिरधीलाल जाति माली निवासी काजीखेडा
2. जगन्नाथ पुत्र बिरधीलाल जाति माली निवासी काजीखेडा
3. पप्पू उर्फ बाबूलाल पुत्र बिरधीलाल जाति माली निवासी काजीखेडा
4. हीरालाल पुत्र बिरधीलाल जाति माली निवासी काजीखेडा
5. गीता बाई पुत्री बिरधीलाल पत्नी धन्नालाल जाति माली निवासी (चौकी बोरदा) कोटडी
6. पांची बाई पुत्री बिरधीलाल पत्नी पत्नी शंकरलाल जाति माली निवासी बावडीखेडा तह. बारां
7. ज्यानी बाई पुत्री बिरधीलाल पत्नी रामकुमार जाति माली निवासी बूंदी बिजोरा तह. अन्ता
8. राजेन्द्र पुत्र राधेश्याम जाति माली निवासी निवासी काजीखेडा
9. प्रेम बाई पत्नी राधेश्याम जाति माली निवासी काजीखेडा
10. बबली पुत्री राधेश्याम जाति माली निवासी काजीखेडा
11. धनकंवर पुत्री राधेश्याम जाति माली निवासी काजीखेडा
12. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां।
13. उपपंजीयन अधिकारी बारां
14. तुलसा बाई पत्नी रामबिलास जाति मीणा निवासी काजीखेडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट
निर्णय दिनांक :– 12.10.2021

अभिभाशक उपस्थित :– 1. श्री ओमप्रकाश मेहता एडवोकेट – वादी
2 श्री नरेन्द्र सिंह हाडा एडवोकेट – प्रतिवादी

ग्राम काजीखेडा पटवार हल्का गजनपुरा तहसील बारां की आराजी जमाबंदी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या नया 24 पुराना 19 की आराजी खसरा नं. 5 रकबा 1.92 है. (बडा खेत) लगानी 23.04 रूपयें स्थित है जो विवादित आराजियात है। उक्त आराजी पूर्व में छीता जोजे प्रभूलाल कोम [illegible] के नाम दर्ज थी जिसके कोई औलाद नही होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:26:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

वसीयत के आधार पर नामांतकरण संख्या 347 दिनांक 12.02.2020 से उक्त आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई है। उक्त आराजी में गीता बाई, ज्यानी बाई, पांची बाई द्वारा अपना हिस्सा प्रार्थी के पक्ष में तर्क कर संभला दिया था तबसे ही प्रार्थी तीनों बहिनो, गीता बाई, ज्यानी बाई, पांची बाई व स्वयं का चारों के हिस्सों को काश्त करता चला आ रहा है। 2 छीता बाई के देहान्त 15–20 वर्ष पूर्व ही हो चुका है तबसे ही मौके पर बंटवारा किया हुआ है उसके अनुसार 5 हिस्से प्रार्थी के पास एक हिस्सा बद्रीलाल के पास, एक हिस्सा जगन्नाथ के पास तथा एक हिस्सा पप्पू के पास एक हिस्सा हीरालाल के पास संयुक्त रूप से एक हिस्सा मृतक राधेश्यामक` वारिसान राजेन्द्र, प्रेम बाई, बबली, धनकंवर के पास है इसी अनुसार काश्त करते चले आ रहे है किन्तु खाता शामिल होने एवं खाते में तीनो बहिनो गीता बाई, ज्यानी बाई, पांची बाई का नाम राजस्व रिकॉर्ड में नाम अंकन होने से प्रार्थी अपने 4/9 हिस्से का भूसुधार करने एवं बैंक आदि से प्रण प्राप्त करने व अन्य प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त करने में प्रार्थी को काफी असुविधाए होती है इस कारण प्रार्थी हफ्ते 4/9 हिस्से की खातेदारी अधिकार घोषित करवाकर तीनों बहिनों का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटवाकर अपना नाम दर्ज करवाने एवं 4/9 हिस्सा का बंटवारा करवाकर पृथक से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने का अधिकारी एवं नालिशी है। प्रार्थी का वाद/प्रार्थना पत्र ठोस तथ्यों पर आधारित है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गए तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन किया जाना संभव नही है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये समन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम काजीखेडा सम्वत् 2073–76 खाता सं. 23, नकल जमाबंदी ग्राम काजीखेडा सम्वत् 2073–76 खाता सं. 24, नकल विक्रय पत्र दिनांक 25.06.2021 पेश किया गया तथा प्रार्थी द्वारा अपना शपथ पत्र पेश किया गया।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी का प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम काजीखेडा में स्थित है। उक्त भूमि कि पूर्व में छीता जोजे प्रभूलाल कोम माली खातेदार थी। जिसके कोई औलाद नही होने से वसीयत के आधार पर नामा. सं. 347 दिनांक 12.02.2020 से प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई। गीता बाई, ज्याना बाई, पांची बाई द्वारा अपना हिस्सा प्रार्थी के पक्ष में तर्क कर संभला दिया था तब से प्रार्थी ही उक्त भूमि पर काश्त करता चला आ रहा है। खाता शामलाती होने एवं तीनों बहिनों का नाम खाते में आने से प्रार्थी अपने हिस्सा 4/9 पर भूमि सुधार हेतु ऋण लेने में परेशानी आ रही है। प्रार्थी अपनी तीनों बहिनों का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटवाने का अधिकारी है। प्रार्थी की बहिन ज्याना बाई व पांची बाई द्वारा उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो जाने से नाजायज फायदा उठाने की नियत से अपने हिस्से की भूमि का बेचान तुलसा बाई पत्नी रामविलास जाति मीणा को कर दिया है। जिसे वाद पत्र में पक्षकार बनाया गया है। विवादित आराजी में प्रार्थी के हिस्से तक मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने है। अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावें।

बहस अभिभाषक अप्राथी [illegible]। बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि खातेदार ज्याना बाई व पांची [illegible] हिस्सा तुलसां बाई को जर्ये

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:26:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

रजि. विक्रय पत्र बेचान किया गया है। खातेदार अपने हिस्से की भूमि को बेचान करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किया जावें। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मनगढंत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। प्रार्थी को सहखातेदारान व क्रय की गई भूमि पर स्थगन प्राप्त करने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम काजीखेडा सम्वत् 2073–76 खाता सं. 24 के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 25.06.2021 के अनुसार पांची बाई व ज्याना बाई द्वारा अपना हिस्सा तुलसा बाई पत्नी रामविलास मीणा को बेचान किया जाना पाया गया। इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। सहखातेदार पांची बाई व ज्याना बाई उर्फ जानकी बाई द्वारा अपने हिस्से की आराजी का बेचान तुलसा बाई को लिया जाना पाया जाता है। प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी पर मूल वाद के निर्णय तक मौके की एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति का निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष में राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय की एवं RRT662 (54pp) 2011–12 पेश की गई। प्रार्थी प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जयेग अस्थायी निषेधाज्ञा से मूल वाद के निर्णय तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थी को पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम काजीखेडा तहसील बारां के ख.नं. 5 रकबा 1.92 है. पर उपभय पक्षकारान को मूल वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थी के हिस्से तक मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:26:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner